पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– अपील प्रकरण संख्या 20/2016

1. किरणदीप कौर पुत्र श्री गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी 52 जी.जी. गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. करणजीत कौर पत्नी श्री अमृतपाल जाति जटसिख निवासी 52 जी.जी. गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत साहुवाला जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1954

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सतविन्द्रसिंह गिल अधिवक्ता	अपीलान्ट
2. श्री औमषंकर गेदर	रेस्पोडेन्ट संख्या एक
3. नायब तहसीलदार चूनावढ़	पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02.09.2016

अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 करणजीत कौर पत्नी श्री अमृतपाल द्वारा जरिऐ बैयनामा दिनांक 24.01.2014 को दोनों के नाम से खरीदषुद्धा भूमि में से चक 4 ए छोटी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खाता संख्या 18/20 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11 ता 15 में कुल तादादी 1.1760 हैक्टर रकबा में से 0.196 हैक्टर रकबा नहरी मय पानी बारी खाला रास्ता हर हर किस्म सहीत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से 0.196 हैक्टर 1/2–1/2 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज होना था गलती से ग्राम पंचायत साहुवाला द्वारा सारा हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया और इसी अनुसार इन्तकाल भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हैजो काबिले निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट का भी हिस्सा जो 0.098 हैक्टर हिस्सा बनता है, जो गलती से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से 0.196 हैक्टर दर्ज हो गया है जो काबिले निरस्त योग्य है।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि अपील अपीलान्ट मन्जूर फरमाई जाकर ग्राम पंचायत साहुवाला का इन्तकाल नम्बर 468 चक 4 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 11 ता 15 की कुल तादादी 1.1760 हैक्टर रकबा में से 0.196 हैक्टर रकबा नहरी मय पानी खाल रास्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम से 0.098 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ सम्मन तलब किया किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 19.07.2016 को सरपंच ग्राम पंचायत साहूवाला द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्ताव संख्या 468 दिनांक 27.01.2014 बैठक दिनांक 21.02.2014 के प्रस्ताव संख्या पेज 1/3 के अनुसार इन्तकाल स्वीकृत किया गया। उक्त इन्तकाल में चक 4 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 18/20 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 11 से 15 में कुल तादादी 1.1760 में से 0.196 हैक्टर भूमि करणजीत कौर पत्नी श्री अमृतपालसिंह एवम् किरणदीप कौर पुत्र श्री गुरचरणसिंह के नाम

लगातार 2

अपील नं० 20/16.

से बराबर हिस्सा दर्ज करना था लेकिन भूलवश केवल करणजीत कौर पत्नी श्री अमृतपाल सिंह के नाम दर्ज हो गया दोनो पक्ष आपस में सहमत है अतः इस इन्तकाल को दुरस्त करनें का आदेष फरमावे।

दिनांक 02.08.2016 को पैरोकार राज द्वारा अपील का बिन्दूवार जबाब प्रस्तुत कहा की मुताबिक विल्पि के अपीलान्ट एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये थ। गल्त दर्ज हो गया है अपील स्वीकार योग्य है।

दिनांक 30.08.2016 को विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा अपनें अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करनें हेतु निवेदन किया जिस पर वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया।

हमने बहस पर मनन किया एंवम् पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहन अवलोकन किये जानें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत बैयनामा को ध्यान में नहीं रखते हुए इन्तकाल दर्ज किया है। अतः ग्राम पंचायत साहूवाला द्वारा दर्ज इन्तकाल नम्बर 468 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, श्रीगंगानगर को इस निर्देष के साथ रिमान्ड किया जाता हैं कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ तथा पंजीकृत बैयनामा को मध्यनजर रखते हुऐ नियमानुसार निर्णय पारित कर इन्तकाल की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एंव ग्राम पंचायत साहूवाला तहसील श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर